

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2019/571

दिनांक:- 2/9/19

आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-कोटा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता तृतीय जयपुर के अधीन आवासीय योजना जेल रोड झालावाड़, इन्दिरा नगर झालावाड़, भवानी मंडी, जवाहर नगर, बूंदी, कुन्हाडी कोटा (एस+6) में विभिन्न आय वर्ग के अनिस्तारित आवास/फ्लेटों का निस्तारण खुली बिक्री योजना के माध्यम से नगद भुगतान पद्धति (बिना छूट के) से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद प्रदान की जाती है। खुली बिक्री योजना से निस्तारण किये जाने वाले फ्लेटों का विवरण निम्नानुसार है:-


क्र. सं.	योजना का नाम	श्रेणी	आवास/ फ्लेट नं.
1	जेल रोड, झालावाड़	अल्प आय वर्ग	1-ए-18
2	जेल रोड, झालावाड़	अल्प आय वर्ग	1-सी-5
3	जेल रोड, झालावाड़	अल्प आय वर्ग	2-बी-1
4	जेल रोड, झालावाड़	अल्प आय वर्ग	2-बी-3
5	जेल रोड, झालावाड़	अल्प आय वर्ग	2-बी-6
6	जेल रोड, झालावाड़	अल्प आय वर्ग	2-बी-7
7	जेल रोड, झालावाड़	अल्प आय वर्ग	2-बी-8
8	जेल रोड, झालावाड़	अल्प आय वर्ग	2-बी-9
9	जेल रोड, झालावाड़	अल्प आय वर्ग	2-बी-10
10	जेल रोड, झालावाड़	अल्प आय वर्ग	2-बी-11
11	जेल रोड, झालावाड़	अल्प आय वर्ग	2-सी-1
12	जेल रोड, झालावाड़	मध्यम आय वर्ग-अ	2-सी-3
13	जेल रोड, झालावाड़	मध्यम आय वर्ग-अ	2-ए-1
14	जेल रोड, झालावाड़	मध्यम आय वर्ग-अ	2-ए-2
15	जेल रोड, झालावाड़	मध्यम आय वर्ग-अ	2-ए-3
16	जेल रोड, झालावाड़	मध्यम आय वर्ग-अ	2-ए-4
17	जेल रोड, झालावाड़	मध्यम आय वर्ग-अ	2-ए-5
18	जेल रोड, झालावाड़	मध्यम आय वर्ग-अ	2-ए-6
19	जेल रोड, झालावाड़	मध्यम आय वर्ग-अ	2-ए-11
20	जेल रोड, झालावाड़	मध्यम आय वर्ग-अ	2-ए-12
21	जेल रोड, झालावाड़	मध्यम आय वर्ग-अ	2-ए-14
22	जेल रोड, झालावाड़	मध्यम आय वर्ग-अ	2-ए-15
23	जेल रोड, झालावाड़	मध्यम आय वर्ग-अ	2-ए-16
24	जेल रोड, झालावाड़	मध्यम आय वर्ग-अ	2-ए-18
25	जेल रोड, झालावाड़	मध्यम आय वर्ग-अ	2-ए-19
26	इन्दिरा नगर, झालावाड़	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1-डी-21
27	भवानी मण्डी	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (घरौंदा)	39, 72, 75
28	जवाहर नगर, बूंदी	अल्प आय वर्ग	4-बी-31
29	कुन्हाडी, कोटा (एस+6)	मध्यम आय वर्ग-ब	101, 202, 401, 403, 504, 601, 604
कुल भूखण्ड संख्या			37

कम्प्यूटर प्रकल्प

अतः उल्लेखित सारणी में उपलब्ध फ्लेटों का खुली बिक्री योजना के माध्यम से निस्तारण हेतु जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2017/1191 दिनांक 27.03.2017 में उल्लेखित शर्तों का विवरण निम्न प्रकार है:-


1. फ्लेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है, एवं विधिवत निरस्त किये गये हैं-साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लेट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त का पैरा संख्या 15/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त-कोटा, रा० आ०म०, वृत्त-प्रथम कोटा।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-कोटा, झालावाड़, रा० आ०म० जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक